# रायपुर : सामान्य स्ववित्तीय योजनाओं में भी निम्न आय वर्ग हितग्राहियों को मिलेंगे ज्यादा मकान

**परियोजनाओं में भूमि और मकानों की संख्या दोनों मानदंडों पर कमजोर आर्थिक परिस्थिति एवं निम्न आयवर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाये जाएंगे अधिकतम आवास**

**समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय**

रायपुर. 24 जुलाई 2013

शासकीय योजना के अतिरिक्त सामान्य स्ववित्तीय योजनाओं में भी अधिकतम भवन निम्न आयवर्ग एवं कमजोर आर्थिक वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मुख्यालय में बुधवार को आयुक्त श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में आयुक्त ने मंडल की परियोजनाओं में भूमि और मकानों की संख्या दोनों मानदंडों पर अधिकतम आवास इस वर्ग के लिए रखने के निर्देश दिये। बैठक में मंडल की विभिन्न परियोजनाओं में की जा रही शासकीय खरीदी में यथा संभव मूल निर्माता से सामग्री क्रय करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन सामग्रियों का चयन करें जिनकी निर्माता से की गई सीधी खरीदी से मंडल की बचत होती हो, उन्होंने कहा कि इस तरह से परियोजनाओं की लागत कम होगी और इसका सीधा लाभ हितग्राही को मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप 15 लाख रुपए से अधिक की शासकीय खरीदी में यथासंभव इस बात का ध्यान रखा जाए, उन्होंने कहा कि निर्माता से सीधे क्रय करने पर गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

भूअर्जन के जिन मामलों में मंडल ने पूरी राशि जमा कर दी है लेकिन जिला प्रशासन से मौके पर कम जमीन मिल पाई है, ऐसे मामलों में शेष राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के संबंध में 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये। भूअर्जन किए जाने के पूर्व उन्होंने भूमि रिकार्ड की जाँच तथा मौके पर मुआयना करना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। मंडल की परियोजनाओं को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए दीवार -कांटा तार फेंसिंग करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिये। भूअर्जन के पश्चात चिन्हांकन खंभे( डिमार्केशन पोल) लगाने के निर्देश भी उन्होंने दिये। बरसात पूर्व कॉलोनियों में पौधरोपण के निर्देश भी दिये गए। परियोजनाओं को समयावधि पर पूरा करने के लिए उन्होंने एनआईटी एग्रीमेंट और स्पेसिफिकेशन के मानदंड की समीक्षा के पश्चात ही ठेकेदारों को नियमानुसार नियमित भुगतान किए जाने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित ठेकेदार पर दंड अधिरोपित किए जाएं। अफोर्डेबल हाउसिंग के संबंध में सर्विस टैक्स से राहत दिए जाने के बाबत ट्रिब्यूनल में चल रहे अपील प्रकरण के संबंध में चर्चा भी आयुक्त ने की तथा इस मुद्दे पर अपर आयुक्त तथा प्रशासकीय अधिकारी को समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये।